AND THE PROPERTY OF THE PROPER



F-07-07

## सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

## वर्ग अनुमोदन सं . 1832/ Type Approval No. 1832

मद/FOR ITEM: रबड़ 'ओ' रिंग्स - पार्ट सं. एचटीई 7300-एस13-022/एच Rubber 'O' Rings- Part No.HTE 7300-S13-022/H

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स ऑवरहॉल प्रभाग, एच ए एल (बीसी), विमानपुरा पी.ओ, बेंगलूर – 560 017 द्वारा अभिकल्पित एवं संसाधित तथा मेसर्स फाउंड्री व फॉर्ज प्रभाग, एच ए एल (बीसी), विमानपुरा पी.ओ, बेंगलूर – 560 017 द्वारा उत्पादित एनएफएल-17-161बी-61डी6, (टीए सं.1170) के फ्लूरो सिलिकोन बेस कार्बन काम्पाउंड (ईई-61डी6) से बनाया हुआ "'ओ' रिंग", पार्ट सं. एचटीई 7300-एस13-022/एच को असेंब्ली आरेखन सं. टीएचई 7300-एस13-022/एच (ओ/डीएलई/एम-8177), सीएच एलईटी सं. ए दिनांक 08 अगस्त 2012 के अनुसार जगुअर वायुयान के बॉल वाल्व्स में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आर सी एम ए (वायुयान) के समन्वय से टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. टीएस/ओ/डीएलई/जेएजी/233, इश्यूःशून्य, दिनांक 28 अगस्त 2012, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

This is to certify that the "O' Ring" bearing the Pt. No.: HTE 7300-S13-022/H Made out of Fluoro Silicon base rubber compound (EE-61D6) of NFL-17-161B-61D6, (TA No. 1170), Designed and Developed by M/s Overhaul Division, HAL(BC), Vimanapura P.O, Bengaluru-560017 and manufactured by M/s Foundry & Forge Division, HAL(BC), Vimanapura P.O, Bengaluru-560017, is hereby approved for production as per Assembly Drawing No.: THE 7300-S13-022/H (O/DLE/M-8177), CH LET. No. A, Dated.: 08th Aug 2012, for use in Ball valves of Jaguar aircraft. It has been tested as per Test Schedule No.: TS/O/DLE/JAG/233, Issue: Nil, Dt: 28th Aug 2012, in co-ordination with RCMA (Aircraft). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ठ/Page 01 of 02

ਧੂਬ/Page 02 of 02 ਟੀ ए सं./TA No. 1832 F-07-07

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2019 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाए और इसके बाद में इसका नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अविध समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (वायुयान), से अनुरोध करना होगा।

This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> June 2019 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (Aircraft), for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

4. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रिकोर्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलेक), बेंगलूरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes, if any, to the SOP and declared to the performance indicated within the Type Record enclosed herewith are effected.

5. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वार गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट 'ए' /Appendix 'A'

सं./No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA-1832

दिनांक/Date : **27** Aug 2014 फैक्स सं./Fax No: 080-25230856 पी जयपाल / P.JAYAPAL मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)

26/8/14